

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2007

(आयकर)

का.आ. 2024(अ).—आयकर अधिनियम, 1961(1961का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निर्देश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारियों के अधीनस्थ होंगे ।

अनुसूची

क्रम सं.	आयकर अधिकारी का पदनाम	आयकर प्राधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य आयुक्त (बड़ी करदाता इकाई), चेन्नई	1. आयकर आयुक्त (बड़ी करदाता इकाई) चेन्नई 2. आयकर आयुक्त (अपील) बड़ी करदाता इकाई, चेन्नई

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएगी ।

[अधिसूचना सं. 286/07 फा. सं. 187/17/2007-आ.क.नि.-1]

डॉ. जगदीप गोयल, निदेशक